आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

16.08.2019

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 11/2013–14
सेराजुल शेख
बनाम
मो0 हिमायुन शेख
आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदक सेराजुल शेख, पिता– स्व0 अबुल शेख, सा0– पलासगाछी, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामांतरण वाद सं0 177/2012–13 में दिनांक 24.10.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। साथ ही कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 11.01.2014 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

मौजा	खाता सं0	दाग सं0	रकवा
मेदिया	146	1428	10–12–07

उभय पक्ष उपस्थित। साथ ही उत्तरवादी की ओर से सूचीबद्ध कागजात दाखिल किया गया है। अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा मेदिया, खाता सं0– 146, दाग नं0– 1428, कुल रकवा 10 बीघा 12 कट्ठा 07 धूर जमीन का जमाबंदी रैयत खेमराज मारवाडी है। जमाबंदी रैयत खेमराज मारवाड़ी के पोत्र कैलाश जैन, पिता– स्व0 मदनलाल जैन के द्वारा दलील सं0 1187, दिनांक 23.02.2012 द्वारा प्रमोद कुमार जैन, पिता– स्व0 ज्ञानीलाल जैन को बिक्री हेतु मौजा मेदिया, जमाबंदी नं0– 146, दाग नं0– 1428 एवं 1429 रकवा 01 बीघा 15 कट्ठा 08 धूर के लिए पॉवर ऑफ एटार्नी बनाया गया है। पॉवर ऑफ एटोर्नी प्रमोद कुमार जैन के द्वारा प्रभु दयाल जैन को बिक्री किया। प्रभु दयाल जैन के द्वारा कुल रकवा 01 बीघा 15 कट्ठा 08 धूर में से आंशिक रकवा 10 कट्ठा जमीन उक्त मौजा में सेराजुल शेख को निबंधित केवाला सं0 1346 दिनांक 20.03.2012 को बिक्री किये। सेराजुल शेख द्वारा खरीद की गई जमीन पर शांतिपूर्ण भोग दखल है। अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा नामांतरण वाद सं0– 177/2012–13 में उत्तरवादी हिमायुन शेख द्वारा जाली कागजात समर्पित कर अपीलार्थी के विरूद्ध नामांतरण आवेदक के विरूद्ध आवेदन दाखिल किया। साथ ही अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के नामांतरण आवेदन पर विचार नहीं करते हुए अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा गलत, आधारहीन एवं काल्पनिक आदेश पारित कर दिया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि पुनः उसी जमीन में से जमाबंदी रैयत के दूसरे पोत्र गौरी शंकर जैन पिता–

Scanned with CamScanner

स्व0 मदनलाल जैन के द्वारा जालसाजी कर अपने पिता के हिस्से की कुल जमीन रकवा 05 बीघा 06 कट्ठा 03½ धूर हिमायुन शेख को बेच दिया। जबकि गौरी शंकर जैन को अपने हिस्से की जमीन बेचनी चाहिए थी, जो एक बीघा 15 कट्ठा 08 धूर जमीन है। साथ ही उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा अनिबंधित बंटवारा तैलिये व्यापार एवं व्यवहार न्यायालय (सिनियर डिविजन) 2nd Court Alipur, South- 24 Pargana (W.B) के टाईटिल सूट सं0 64/2000 के आदेश से संबंधी कागजात पर बिना विचार किये ही नामांतरण वाद सं0 177/2012–13, दिनांक 24.10.2013 में आदेश पारित कर दिये हैं।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, उधवा के द्वारा नामांतरण वाद सं0 177/2012–13 में दिनांक 24.10.2013 के पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) करने का अनुरोध किया गया है।

आज उत्तरवादी उपस्थित।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया है:–

1. कैलाश प्रसाद जैन, पिता– स्व0 मदनलाल जैन के द्वारा प्रदत्त श्री प्रमोद कुमार जैन, पिता– स्व0 ज्ञानी लाल जैन से संबंधित पॉवर ऑफ एटोर्नी की छाया प्रति।
2. निबंधित केवाला सं0 1223, दिनांक 12.03.2012 की छाया प्रति।
3. निबंधित केवाला सं0 1360, दिनांक 20.03.12 की छाया प्रति।
4. निबंधित केवाला सं0 5613, दिनांक 07.10.2013 की छाया प्रति।

अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा उक्त अभिलेख के आदेश में उल्लेख किया है कि मौजा मदिया, जमाबंदी नं0– 146, दाग नं0– 1428 एवं 1429, कुल रकवा 10 बीघा 12 कट्ठा 07 धूर जमीन में से अंश रकवा 06 बीघा 01 कट्ठा 03½ धूर जमीन पंजी ॥ में जमाबंदी रैयत खेमराज मारवाडी, पिता– जहुरी मरवाड़ी के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन में जमाबंदी रैयत के पौत्र श्री कैलाश प्रसाद जैन ने प्रभु दयाल जैन, पिता'– स्व0 ज्ञानी लाल जैन से आम मुख्तार क्षमता प्राप्त तेजामुल हक, पिता– स्व0 पतानु शेख, सा0– प्राणपुर से सेराजुल शेख, पिता– स्व0 आबुल शेख, सा0– पलासगाछी ने केवाला सं0 1346 दिनांक 20.03.2012 दाग नं0– 1428 एवं 1429 में रकवा 10 कट्ठा जमीन खरीद किये। पुनः उसी जमीन के जमाबंदी रैयत के दूसरे पौत्र गौरी शंकर जैन, पिता स्व0 मदनलाल जैन ने केवाला सं0 166, दिनांक 10.01.2013 द्वारा 06 कट्ठा 13½ धूर एवं केवाला सं0 165, दिनांक 10.01.2013 द्वारा रकवा 02 बीघा 16 कट्ठा 10 धूर कुल रकवा 03 बीघा 03 कट्ठा 03½ धूर जमीन हिमायुन शेख, पिता– स्व0 हाजी सुबेदार शेख, सा0– प्राणपुर के पास बिक्री किया है। इस प्रकार एक ही

Scanned with CamScanner

जमीन जमाबंदी रैयत के पोत्रगण द्वारा अलग-अलग रैयतों के पास बिक्री किये हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। फलस्वरूप अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मामला जमीन के स्वत्व से संबंधित है, उभय पक्ष सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं।

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल सम्पूर्ण कागजात एवं हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा नामांतरण वाद सं0 177/2012-13, दिनांक 24.10.2013 में पारित आदेश के पश्चात विवाद के तथ्यों में परिवर्तन आया है। साथ ही अपीलार्थी का कथन है कि उन्होंने विवादित भूमि पुनः उत्तरवादी से खरीद ली है, जिस कारणवश उनके और उत्तरवादी के बीच कोई विवाद नहीं बचा है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत अंचल अधिकारी, उधवा को आदेश दिया जाता है कि पुनः आवेदन आमंत्रित करते हुए न्यायोचित विधि सम्मत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

115/अ0 26/09/2019